राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल — dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141—2740538, 2741687
वेबसाइट :— rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :— प.5(254)निपेवि / नियम / 2015 / पार्ट—02 / 1244 – H दिनांक :— 22/11/2

समस्त विभागाध्यक्ष

परिपत्र

विषयः— पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में।

राजकीय सेवारत कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन शीघ्र स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया विहित है। अतः उक्त प्रक्रिया में निर्धारित कार्यवाही शीघ्रतर कराने के प्रयास किये जाये। तथापि किसी प्रकरण में विलम्ब लगना संभावित हो तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 99 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा फॉर्म 33 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाकर पेंशन अधिकृति जारी करने हेतु प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित किया जावें। अतः आपके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पारिवारिक पेंशन के प्रकरण शीघ्र पेंशन विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

इसके अतिरिक्त 01.01.2004 एवं इसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के संबंध में भी ऐसे प्रकरणों को यथा शीघ्र निस्तारित करने का कष्ट करावें।

सं.नि.

8121 / 23.11.2021

(संजय सोलंकी)
निदेशक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1( )प्रशा. / आकाशि / 2021 / 8060 दिनांक : 26-11-2021

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय / कन्या महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय (राजस्थान) / राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर / राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

26.11.2021

(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर